न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –97-A/2019 (Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई (महाराष्ट्र) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी / सिक्योरक्रेडिटर

बनाम

1. श्री मैसर्स विद्या फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड (ऋणी)
   (अ) बी/01, दत्तानी ट्रेड सेन्टर चन्दावरकर रोड, बोरीवली वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)
   (ब) औद्योगिक यूनिट/गला नं. 9 प्रथम तल बिल्डिंग नं. 4 प्लॉट नं. 1, ग्राम–रहनाल, तालुका–भिवन्डी, जिला ठाणे (महाराष्ट्र)
2. श्री प्रकाश एम.शाह (डायरेक्टर एवं गारंटर)
   फ्लैट नं. 401 चतुर्थ तल, मीराज अपार्टमेन्ट, टीपीएस तृतीय रोड नं. 51 बोरीवली वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. श्रीमति उषा शाह (डायरेक्टर एवं गारंटर)
   फ्लैट नं. 401 चतुर्थ तल, मीराज अपार्टमेन्ट, टीपीएस तृतीय रोड नं. 51 बोरीवली वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. श्री मुकेश बी. जैन (डायरेक्टर एवं गारंटर)
   501, नताशा मानोर–बी, चन्दावरकर रोड बोरीवली वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. श्री बालचन्द जैन पुत्र श्री घांसीराम जैन (गारन्टर)
   (अ) 501, नताशा मनोर–बी चन्द्रावरकर रोड बोरवली वेस्ट , मुम्बई (महाराष्ट्र)
   (ब) मकान नं. 1–प–2, दादाबाडी, न्यू कोटा (राजस्थान)
   (स) मकान नं. 1–घ–23, दादाबाडी, कोटा (राज)
6. मैसर्स श्लेषा फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारन्टर)
   बी–02, दत्तानी ट्रेड सेन्टर, चन्दावरकर रोड, बोरीवली वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)
7. मैसर्स विद्या एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (कार्पोरेट गारन्टर)
   फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंगः सर्वे नं. 38बीपीटी , ग्राम चम्बले तालुका–वाडा, जिला–ठाणे (महाराष्ट्र)
8. मैसर्स एमएलडी कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड (कार्पोरेट गारन्टर)
   बी–02, दत्तानी ट्रेड सेन्टर, चन्दावरकर रोड, बोरीवली वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
9. मैसर्स मरीन माईको टेक इन्क. लिमिटेड (कार्पोरेट गारन्टर)
   बी–02, दत्तानी ट्रेउ सेन्टर चन्दावरकर रोड बोरीवली वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

Scanned by CamScanner

उपस्थित
श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई (महाराष्ट्र) से अप्रार्थी/ऋणी ने केश केडिट लिमिट लोन खाते में रू. 11.50 करोड (जिसे रू. 17.50 करोड से घटाकर कम किया गया) तथा लेटर ऑफ केडिट रू. 1.00 करोड़ (जिसे रू. 12.00 करोड से घटाकर कम किया गया) इस प्रकार कुल रू. 12.50 की ऋण राशि दिनांक 21.01.2013 को केश केडिट लिमिट लोन एवं लेटर ऑफ केडिट डीए/डीपी के (अक्षरेः रूपये बारह करोड़, पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री बालचन्द जैन पुत्र श्री घांसीराम जैन की मकान नं. 1–घ–23, दादाबाडी, कोटा ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री बालचन्द जैन पुत्र श्री घांसीराम जैन की मकान नं. 1–घ–23 दादाबाडी कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार क्षैत्रफल 120 वर्गमीटर) जिसका जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– मकान नं. 1–घ–22, पश्चिम में –मकान नं. 1–घ–24, उत्तर में – मकान नं. 1–घ–8, 9, दक्षिण में– रोड़** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियगित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.05.2013 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 29,57,37,738.19/– (अक्षरे रूपये उन्तीस करोड़, सत्तावन लाख, सैंतीस हजार, सात सौ अड़तीस रूपये उन्नीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.06.2013 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.06.2013 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 02.06.2013 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

नोटिस को दिनांक 02.06.2013 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री बालचन्द जैन पुत्र श्री घांसीराम जैन की मकान नं. 1–घ–23 दादाबाडी कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार क्षैत्रफल 120 वर्गमीटर) जिसका जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– मकान नं. 1–घ–22, पश्चिम में –मकान नं. 1–घ–24, उत्तर में – मकान नं. 1–घ–8, 9, दक्षिण में– रोड़** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner